

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1.	स्थल, जहाँ की वन भूमि शामिल की गई। क्या इसका सम्बन्धित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	घाटमपुर ट्रांसमिशन-लिमिटेड द्वारा निर्माणाधीन 765 केवी0 आगरा-ग्रेटर नोएडा पारेषण लाइन हेतु अलीगढ़ जनपद में 0.5464 है0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं 36 वृक्षों का पातन जनपद हाथरस में 1.7094 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं 28 वृक्षों का पातन, एटा जनपद में 0.2243 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं 43 वृक्षों का पातन कुल 2.4801 है0 संरक्षित वन भूमि गैर वानिकी प्रयोग एवं 107 वृक्षों का पातन की अनुमति नहीं
2.	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक पार्ट-2 में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
3.	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्ताव जनहित में होने के कारण स्वीकृति हेतु संस्तुति की जाती है।

तिथि:- 05.06.2020

स्थान:-अलीगढ़।

(के0 प्रवीन राव)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
प्रभारी वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

W